

बिहार के पहले खेल विश्वविद्यालय को UGC से मान्यता प्राप्त हुई

चर्चा में क्यों?

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने बिहार के पहले खेल विश्वविद्यालय को मान्यता प्रदान की है, जिसका उद्घाटन राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2024 के राष्ट्रीय खेल दिवस पर नालंदा जिले के राजगीर में किया गया।

- मुख्य बंदि
 - UGC मान्यता:
 - बिहार खेल विश्वविद्यालय, राजगीर को UGC अधिनियम, 1956 की धारा 2(f) के तहत UGC से मान्यता प्राप्त हुई है।
 - यह मान्यता विश्वविद्यालय को शारीरिक शिक्षा और खेल विज्ञान में स्नातक और डिप्लोमा/पी.जी. डिप्लोमा कार्यक्रमों सहित शैक्षणिक पाठ्यक्रम प्रदान करने का अधिकार प्रदान करती है।
- शैक्षणिक कार्यक्रम और भविय की योजनाएँ:
 - विश्वविद्यालय वर्ष 2025-2026 शैक्षणिक सत्र से विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रम शुरू करने की योजना बना रहा है।
 - इन कार्यक्रमों में शामिल होंगे:
 - खेल प्रशिक्षण में डिप्लोमा/पी.जी. डिप्लोमा (दो या तीन खेलों को कवर करना)।
 - योग में डिप्लोमा/पी.जी. डिप्लोमा।
 - चार वर्षीय शारीरिक शिक्षा स्नातक (राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता लंबति)।
- खेल परिसर और अतिरिक्त विकास:
 - बिहार खेल विश्वविद्यालय और राज्य की पहली खेल अकादमी राजगीर स्थिति अंतरराष्ट्रीय खेल परिसर का हिस्सा है।
 - इस परिसर ने नवंबर 2024 में महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी की भी मेज़बानी की।
- शिकायत नविरण तंत्र:
 - UGC के दशान-नरिदेशों के अनुसार, UGC (छात्र शिकायत नविरण वनियमन, 2023) के अनुसार, विश्वविद्यालय द्वारा शैक्षणिक गतिविधियाँ शुरू करने के दो महीने के भीतर, छात्र शिकायतों के समाधान के लिये एक लोकपाल की नयुक्ति अनविरण है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) 28 दसिंबर, 1953 को असततिव में आया और विश्वविद्यालय शिक्षा में शकिषण, परीक्षा और अनुसंधान के मानकों के समनवय, नरिधारण और रखरखाव के लिये 1956 में संसद के एक अधिनियम द्वारा भारत सरकार का एक वैधानकि संगठन बन गया।
- यह शकिषा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, केंद्र सरकार UGC में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और दस अन्य सदस्यों की नयुक्ति करती है।
- यह नई दलिली के साथ-साथ अपने छह कषेत्रीय कार्यालयों से कार्य करता है जो बेंगलुरु, भोपाल, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता और पुणे में स्थिति हैं।
- यह फरजी विश्वविद्यालयों, स्वायत्त कॉलेजों, डीमड विश्वविद्यालयों और दूरस्थ शकिषा संस्थानों की मान्यता को भी नयितरति करता है।